संख्या-421/2025/आई/1106150/23-1-25/002-23-1002(002)/35/2025

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 30 सितम्बर, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से विभिन्न मण्डल के विभिन्न जनपदों के कुल 26 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **विभिन्न मण्डल के विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 26 मार्गों के चालू कार्यों हेतु तालिका-2 के अनुसार अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 8,17,77,000/- (रूपये आठ करोड़ सत्रह लाख सतहत्तर हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

क्र0 सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	16876/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2025-26	27-09-2025
2	16889/CE-HQ1/RSN3054/VNS/2025-26	27-09-2025
3	16952/CE-HQ1/RSN3054/VNS/2025-26	28-09-2025
4	16953/CE-HQ1/RSN3054/KNP/2025-26	28-09-2025
5	16954/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2025-26	28-09-2025
6	16993/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2025-26	29-09-2025
7	17014/CE-HQ1/RSN3054/KNP/2025-26	29-09-2025

तालिका-2

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 खीरी	बिलरायां पनवारी मार्ग (एस0एच0-21) के	112/2025/आई/891760/23-1-25/001-23-	1646.51 1646.51 806.16	610.60	496.92	120.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		किमी.- 57(300) से 71 तक सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	1002(002)/45/2025-दिनांक-25-02-2025	538.99 1107.52			
2	नि.ख.-2 लखनऊ	बाजखेड़ा सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलाकिंग टाइल्स लगाने का कार्य।	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	62.98 62.98 35.58 0.30 62.68	37.78	24.90	24.90
3	प्रा.ख. रायबरेली	चन्दापुर से लुनारकुटी वाया जनई दौतरा सम्पर्क मार्ग के नवीनीकरण का कार्य	53 /2025/आई/863262/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2024-दिनांक-27-01-2025	94.54 93.67 23.51 12.20 81.47	14.18	67.29	67.29
4	प्रा.ख. रायबरेली	सेमरी रायबरेली परशदेपुर बारा ननौती (प्र0जि0मा0-103 सी0) के कि0मी0-39(100) से 56(600) त क सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	112/2025/आई/891760/23-1-25/001-23-1002(002)/45/2025-दिनांक-25-02-2025	695.31 661.63 317.79 165.83 495.80	392.90	102.90	61.57
5	नि.ख.-2 जौनपुर	परौवा अनु0 जाति पासी बस्ती, खास पूर्वी, खास पश्चिमी, अनु0 जाति बस्ती पूर्वी, अनु0 जाति बस्ती पश्चिमी बस्ती सम्पर्क मार्ग।	53 /2025/आई/863262/23-1-25/002-23-1002(002)/183/2024-दिनांक-27-01-2025	41.31 41.31 30.88 2.87 38.44	6.20	32.24	30.32
6	नि.ख. चंदौली	जीवनाथपुर कंचनपुर सिकन्दरपुर चकिया नौगढ़ मद्धुपुर मार्ग (एस0एच0-97) कि0मी0-20 से 28.60, 29, 34, 36 से 55, 57 से 81, 83 से 90(800) में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	90 /2024/आई/515263/23-1-24/001-23-1002(002)/54/2024 -दिनांक-07-03-2024	2463.83 2463.83 1509.12 727.42 1736.41	1659.43	76.98	76.98
7	नि.ख. चंदौली	नौगढ़-मझगावा-तिवारीपुर से ठठवा मार्ग के आबादी भाग में सी0सी0, नाली के साथ विशेष मरम्मत का कार्य।	784 /2024/आई/838172/23-1-24/001-23-1002(002)/154/2024 पार्ट-2-दिनांक-31-12-2024	89.46 89.46 61.73 7.37 82.09	72.81	9.28	9.28
8	नि.ख.-1 वाराणसी	बड़ागांव बाजार नार्मल स्कूल के सामने नहर की	53 /2025/आई/863262/23-1-25/002-23-1002(002)/183/20	50.54 50.54 41.77 0.25 50.29	0.01	50.28	47.77

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		पटरी जो रतनपुर बगिया रोड तक सड़क मार्ग	24-दिनांक-27-01-2025				
9	प्रा.ख. वाराणसी	सारनाथ शिवमंदिर से काशी कुण्ठ सेवा आश्रम होते हुए हिरामनपुर हरिजन बस्ती तक संपर्क मार्ग का विश्ेाष मरम्मत का कार्य	538/2024/240-आरएसएन/23-1-24/001/23-1002(002)/154/2024-दिनांक-18-10-2024	87.66 87.66 50.64 20.01 67.65	64.69	2.96	2.96
10	नि.ख. जौनपुर	जूड़पुर संपर्क मार्ग का विशेष मरममत का कार्य	137/2025/आई/908711/23-1-25/001-23-1002(002)/79/2025-दिनांक-18-03-2025	16.07 16.07 8.98 1.92 14.15	9.64	4.51	3.80
11	प्रा.ख. चंदौली	जी0टी0 रोड से बसनी मार्ग।	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	18.90 18.90 15.32 0.03 18.87	13.21	5.66	5.66
12	प्रा.ख. चंदौली	जी0टी0 रोड दुल्हीपुर से मलोखर यादव चौराहा होते हुए कुण्डाकला तक मार्ग।	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	36.40 36.40 29.05 0.04 36.36	21.84	14.52	14.52
13	प्रा.ख. चंदौली	मवई ग्राम से सुल्तानीपुर मार्ग पर सेतु एवं पहुंच मार्ग ।	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	21.10 21.10 16.82 0.02 21.08	14.77	6.31	6.31
14	प्रा.ख. चंदौली	जी0टी0 रोड से चैनपुर मार्ग।	41/2025/आई/858936/23-1-25/002-23-1002(002)/154/2024-पार्ट-2-दिनांक-22-01-2025	37.40 37.40 29.73 0.09 37.31	22.44	14.87	14.87
15	प्रा.ख. कानपुरनगर	मंधना पचौर मार्ग से कुरियनपुरवा मार्ग।	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	33.58 33.58 26.43 1.10 32.48	20.15	12.33	12.33
16	प्रा.ख. कानपुरनगर	परास कोरिया हरदौली	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	138.96 135.15 78.06 0.20 134.95	89.30	45.65	45.65
17	नि.ख.-1 उन्नाव	लखनऊ बांगरमऊ बिल्हौर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 40 के	311 /2023/964 रासनि / 23-1-23/002-44 आरएसएन/2022	1922.41 1922.41 1272.31 160.00 1762.41	1680.73	81.68	81.68

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		किमी 37.000 से 84.77) में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	टीसी दिनांक 27.04 .2023-दिनांक-27-04-2023				
18	नि.ख.-1 खीरी	लखीमपुर शारदानगर ढकेरवा मार्ग (एम0डी0आर-75 सी) के कि0मी0-15 से 32(600) तक सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	112/2025/आई/891760/23-1-25/001-23-1002(002)/45/2025-दिनांक-25-02-2025	809.62 809.62 375.54 315.17 494.45	346.12	148.33	88.80
19	नि.ख.-4 सीतापुर	बरगावां से बदनापुर सम्पर्क मार्ग	97/2025/आई/880682/23-1-25/003-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-14-02-2025	14.93 14.46 12.22 0.20 14.26	10.31	3.95	3.95
20	नि.ख.-4 सीतापुर	बडागॉव मितौली से पुन्नापुर सम्पर्क मार्ग	97/2025/आई/880682/23-1-25/003-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-14-02-2025	23.43 21.51 16.11 3.43 18.08	15.06	3.02	3.02
21	नि.ख.-2 रायबरेली	भीटी सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 मार्ग व के0सी0 ड्रेन के साथ विशेष मरम्मत का कार्य	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	16.69 15.32 9.77 3.26 12.06	10.01	2.05	2.05
22	नि.ख.-2 रायबरेली	निसगर से जगन्नाथपुर सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 मार्ग व के0सी0 ड्रेन के साथ विशेष मरम्मत का कार्य	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	26.44 24.20 19.57 2.17 22.03	15.86	6.17	6.17
23	नि.ख.-2 रायबरेली	चिलौला सम्पर्क मार्ग किमी0-1 से पूरे अल्पी सम्पर्क मार्ग का सी0सी0 मार्ग व के0सी0 ड्रेन के साथ विशेष मरम्मत का कार्य	68/2025/आई/867904/23-1-25/002-23-1002(002)/161/2024-दिनांक-31-01-2025	20.37 18.69 12.44 3.51 15.18	12.22	2.96	2.96
24	नि.ख. इटावा	भरथना ऊसराहार मार्ग।	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	442.90 442.90 72.48 52.49 390.41	310.03	80.38	80.38
25	नि.ख. इटावा	उदयपुरा से कुनैया रामनगर होते हुए मूँगापुर तक मार्ग	75/2025/आई/868724/23-1-25/001-23-1002(002)/11/202	51.27 51.27 31.60 13.98 37.29	35.43	1.86	1.86

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			5-दिनांक-31-01-2025				
26	नि.ख. इटावा	एन0एच0-92 पर चौपला से बनी हरदू सम्पर्क मार्ग	75/2025/आई/8687 24/23-1-25/001-23-1002(002)/11/2025-दिनांक-31-01-2025	94.39 94.39 45.53 40.66 53.73	51.04	2.69	2.69
						कुल योग-	**817.77**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **कुल रू0 8,17,77,000/- (रूपये आठ करोड़ सत्रह लाख सतहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण**"** के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

संख्या-421/2025/आई/1106150(1)/23-1-25/002-23-1002(002)/35/2025, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in